"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-02/20-एक/2008.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-01-2008 द्वारा छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 बनाया गया है. उक्त नियम में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. नियम 2 के उपनियम (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय—
   (झ) "ऑनलाइन आवंटन" से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी. एड. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी. एड. पाठ्यक्रम हेतु संस्था/महाविद्यालय आवंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्यता, संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आवंटन किया जाता है.

2. नियम 3 के उपनियम (क) को विलोपित कर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—
   (क) प्री.डी.एड. परीक्षा-सामान्यतया डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.डी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से दिया जायेगा.

3. नियम 4 के उपनियम (ख) में काउंसिलिंग शब्द के स्थान पर "ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने" स्थापित किया जाये.

4. नियम 5 के उपनियम (क) को विलोपित करके उसके स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायें—

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा. अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण अनुसूची I के अनुसार होगा.

इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी. एड. संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.

आवंटन सूची जिलेवार जारी होगी. यदि किसी डाइट/बी.टी.आई. में आवंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी. नये जिले जिसमें डाईट/बी.टी.आई. उपलब्ध नहीं है, के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट/बी. टी. आई. के लिए आवेदन कर सकेंगे.

5. नियम 8 एवं उसके समस्त उपनियमों को विलोपित कर निम्नलिखित नियम व उपनियम प्रतिस्थापित किये जाये—

8. **ऑनलाइन आवंटन—**

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन विधि से किया जावेगा.

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/- रु. (अक्षरी-तीन सौ रुपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से, रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे. इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी.

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे.

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं संस्थाओं/महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं.

(ङ) अभ्यर्थियों को संस्था/महाविद्यालय का आवंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.डी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा.

(च) सीट आवंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी. सीट्स आवंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी.

(छ) ऑनलाइन आवंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आवंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आवंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का संस्था/महाविद्यालय आवंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए संस्था/महाविद्यालय आवंटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा. पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा.

(ज) संस्था/महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा. ऑनलाइन आवंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नंदकुमार, सचिव.

अनुसूची-I

[देखें नियम 5 (क)]

जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संबंधित डाइट/बी.टी.आई.	आरक्षण का प्रतिशत			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	25	06	55	14
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14
3.	बिलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी.आई. बिलासपुर	43	19	24	14
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर	43	19	24	14
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14
8.	राजनांदगांव	खैरागढ़, बी.टी.आई. डोंगरगांव	49	11	26	14
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14
10.	दुर्ग	बेमेतरा	60	13	13	14
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 6-2/2008/20-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंदकुमार, सचिव.

Raipur, the 1st April 2010

NOTIFICATION

No. F 6-02/20-I/2008.— Chhattisgarh D.Ed. Pravesh Rule 2007 is made by even number departmental Notification date 31-01-2008. State Government hereby makes the following amendment in the above rules, namely :—

AMENDMENT

1. After sub-rule (h) of Rule-2 the following sub-rule is established :—
   (i) Online Allotments means such candidates in the merit of Pre D.Ed. Examination who fulfill all prescribed qualifications for admission to D.Ed. courses and who expect to gete admission to D.Ed. Courses in a College or Institute, fill Online Option forms at the prescribed centres, such Candidates shall be given admission on the basis of merit of Pre D.Ed. Examination, vacant seats in the Institute/College and their options.

2. Following sub-rule is established by deleting Sub-rule (a) of rule 3.
   (a) Pre D. Ed. Exam-Generally admission to D. Ed. courses will be given through online seat allotment on the basis of merit list of Pre D. Ed. examination.

3. Filling online option forms should be substituted in place of Counseling, in sub-rule (b) of rule 4.

4. Rule 5, sub-rule (a) is deleted and substituted by—
   District wise reservation will be applicable in vertical reservaion or categories reservation.

This means that the percentage of reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (excluding Creamy layer) will be as per the district wise reservation Schedule-I.

For this it will be compulsory for the candidates to be either a resident of the district or should have passed class 12 from the district.

The allotment list will be declared district wise. If same seats lie vacant in a DIET or BTI they will be filled by candidates of other districts on the basis of merit. The candidates from the newly formed districts where no DIET/BTI exists can apply for admission to the DIET/BTI of the former districts.

5. The rule 8 and all its sub-rules are deleted and the following rules and sub-rules are established.

   8. Online allotment

   (a) After the declaration of merit list the admission to the institutions shall be done according to online allotment procedure.

   (b) The candidates will be present at the prescribed centres with all the original documents and a crossed Bank Draft for Rs. 300.00 (Rs. Three Hundred only) Payable to Director, State Council of Educational Research and Training, Raipur. Initial scruitiny of the documents will be done at the centres.

   (c) The information for filling online options forms will be published in two leading newspapers of the state and also on the SCERT, website.

   (d) Applicants should opt for only those institutions where they intend to seek admission.

   (e) The allotment of institutions/colleges will be done by the Director on the basis of their online option, (preference given to the institutions), merit list of Pre D.Ed. examination and the availability of seats.

   (f) The seat allotment list will be available on SCERT website and at the centres where the candidate has filled option forms. No postal communication will be sent to candidates regarding the allotment of seats.

(g) After the online allotment the candidate should take admission in the allotted colleges or he should get her allotment cancelled and fill the new option form before the expiry of the due date of admission. For this he will have to pay the prescribed fee again, failing which his college/institution allotment will be cancelled automatically and such candidates will not be considered for furhter proceedings.

Candidates filling the option form again will be allotted colleges/institutions in the subsequent (next) list. Candidates will be given only one extra opportunity for refilling option forms.

(h) Admission to the colleges/institutes will be given after the scrutiny of original documents of the candidates. If there is any discrepancy in the original documents admission will be cancelled. In case of any dispute regarding online allotment the decision of the Director shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

SCHEDULE-I
[See rule-5 (a)]

Percentage of District wise Reservation

No.	Name of District	Related DIET/BTI	Percentage of Reservation			
			General	Scheduled Cast	Scheduled Tribe	Other Backward Class
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sarguja	Ambikapur	25	06	55	14
2.	Koria	Koria	25	06	55	14
3.	Bilaspur	Pendra, BTI Bilaspur	43	19	24	14
4.	Janjgir-Champa	Janjgir	43	19	24	14
5.	Korba	Korba	43	19	24	14
6.	Raigarh	Dharamjaigarh	25	12	49	14
7.	Jashpur	Jashpur	25	12	49	14
8.	Rajnandgaon	Khairagarh BTI	49	11	26	14
9.	Kabirdham	Kabirdham	49	11	26	14
10.	Durg	Bemetara	60	13	13	14
11.	Raipur	Raipur	52	15	19	14
12.	Dhamtari	Nagari	52	15	19	14
13.	Mahasamund	Mahasamund	52	15	19	14
14.	Bastar	Bastar	12	06	68	14
15.	Kanker	Kanker	12	06	68	14
16.	Dantewada	Dantewada	12	06	68	14

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.